**उपस्थिति – श्री गौरी शंकर**

# न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

**स्वत्व वाद सं0 –244 / 2017**

**काशीनाथ सिंह वगै0.....वादीगण।**

**बनाम्**

**यदुनाथ सिंह वगै.....प्रतिवादीगण।**

## आदेश

**07.01.2026** उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 27.09.2023 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि कि प्रतिवादी सं0 04 संझरिया देवी के मृत्यु दिनांक 12.06.2023 को हो चुकी है। इनके वारीसान निठाली उर्फ घनश्याम सिंह, राजीव रंजन उर्फ पंडित, श्रवण सिंह का नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायहित में है। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किये है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 27.09.2023 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी सं0 04 संझरिया देवी के मृत्यु के बाद उनकी वारीसान निठाली उर्फ घनश्याम सिंह, राजीव रंजन उर्फ पंडित, श्रवण सिंह का नाम अर्जी में जोडने का आदेश दिया जाता है। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादी के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

**दिनांक– 04.02.2026 वास्ते उपस्थिति हेतू।**

**लेखापित**

**(गौरी शंकर)**
**सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,**
**डुमरॉव (बक्सर)**